

प्रेषक,

संजय प्रसाद,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- (1) कुलपति, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- (2) कुलपति, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
- (4) निदेशक/प्राचार्य, राज्य के समस्त इंजीनियरिंग/प्रबन्ध कालेज/संस्थान ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2011

विषय:-प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक
उपाय सुनिश्चित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन पत्र संख्या:3454/2001-सोलह-1-2001, दि० 22-9-2001, प०सं०-1563/सोलह-1-2002, दि० 13-9-2002, प०सं०-2871/2002-सोलह-1-250/96, दि० 16-9-2002, प०सं०-2407/2003-सोलह-1-250/96 दि० 11-7-2003, प०सं०-2463/2004-सोलह-1-250/96 दि० 20-7-2004 प०सं०-2963/2004-सोलह-1-250/96 दि० 31-8-2004, प०सं०-2634/2005-सोलह-1-250/96 दि० 25-8-2005, प०सं०-1563/2006-सोलह-1-250/96 दि० 13-7-2006, प०सं०-1602/सोलह-1-2007-250/96, दि० 29-6-2007, प०सं०-2297/सोलह-1-2008-250/96, दि० 25-6-2008, प०सं०-2615/सोलह-1-2008-250/96, दि० 10-7-2008, प०सं०-3146/सोलह-1-2008-250/96, दि० 11-8-2008, प०सं०-821/सोलह-1-2009-250/96, दि० 26-03-2009, प०सं०-1835/सोलह-1-2009-250/96, दि० 03-09-2009, प०सं०-3346/सोलह-1-2009-250/96 दि० 14-10-2009, प०सं०-3347/सोलह-1-2009-250/96, दि० 14-10-2009, प०सं०-3852/सोलह-1-2009-250/96 टीसी, दि० 04-12-09 प०सं०-4170/सोलह-1-2009-250/96 टीसी, दि० 02-03-2010, प०सं०-3605/सोलह-1-2009-250/96 दि० 02-03-2010 एवं प०सं०-2336/सोलह-1-2009-250/96 दि० 27-07-2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों एवं शासन स्तर से प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदेश व शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 प्रख्यापित किया गया है,

जिसके प्राविधानों के अनुसार रैगिंग की रोकथाम हेतु विभिन्न प्राविधान निर्गत किए गए हैं। उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में संस्थान स्तर पर रैगिंग की रोकथाम हेतु पूर्ण रूप से प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाना है, जिससे छात्र/छात्राओं में व्याप्त भय समाप्त हो सके तथा उनके मध्य पठन-पाठन का बेहतर माहौल तैयार हो सके।

3- इस संबंध में अपेक्षा है कि UOप्र0 की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही कराते हुए निम्नलिखित प्रकार से एक विशेष अभियान चला कर छात्रों को इस विषय में जागरूक भी किया जाय कि रैगिंग एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त होना चाहिए:-

- (1) सत्र के प्रारम्भ से ही रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे होने की सूचना संस्थान में जगह-जगह पर प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय तथा रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था को बैनर/होर्डिंग्स के माध्यम से संस्थान में प्रदर्शित किया जाए।
- (2) प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावक से प्रवेश के समय शपथ-पत्र लिया जाय कि यदि वे संस्थान में रैगिंग में पकड़े गये तो संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा एवं इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रों की होगी।
- (3) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सत्र के प्रारम्भिक कम से कम दो माह रैगिंग विरोधी दस्ते अनिवार्य रूप से बनाये जायें। इन दस्तों द्वारा प्रतिदिन दिन/रात्रि में छात्रावासों तथा परिसर में एकान्त स्थलों पर एवं ऐसे स्थानों पर जहाँ रैगिंग की सम्भावना हो, जैसे पुस्तकालय, कैन्टीन आदि का निरीक्षण किया जाय। हॉस्टल परिसरों में विशेष रूप से रात्रि एवं अवकाश के समय तथा शिक्षण कक्षाओं के समीप दस्तों/सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आकस्मिक एवं पुनर्निरीक्षण किया जाय।
- (4) संस्था द्वारा निर्धारित कोड से भिन्न यदि छात्र समूह द्वारा कोई अनौपचारिक कोड विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु बनाए जाने की बात प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- (5) एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय प्रथम वर्ष के छात्रों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जाय।
- (6) सभी संस्थानों में जहां पर प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं, वहां पर यह सुनिश्चित करें कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किये गये हैं वे रात्रि में छात्रावासों के चारों ओर गश्त लगायें। उनके पूरी तरह से हिदायत दे दी जाय।
- (7) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में नये छात्रों को संस्थान के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदान कर दी जाय, जिससे कि सीनियर छात्रों द्वारा नये छात्रों की कम जानकारी का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

- (8) नवीन छात्रों के लिए छात्रावास परिसर, वरिष्ठ छात्रों के छात्रावास परिसर से दूर ही रखा जाय एवं दोनों छात्रावासों के बीच पर्याप्त ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सुनिश्चित किया जाय। यदि छात्रावास समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो नये छात्रों को ही परिसर छात्रावास में रखने की व्यवस्था की जाय। वरिष्ठ छात्र बाहर रह सकते हैं।
- (9) कई बार देखा गया है कि वरिष्ठ छात्र बाहरी तत्वों अथवा कालेज के छात्रावास में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे पूर्व छात्रों अथवा अन्य संस्थानों के छात्रों के संरक्षण में रैगिंग जैसी गम्भीर गतिविधियों में लिप्त होते हैं। अतः संस्था के प्राचार्य/वार्डन का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी दशा में शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में वर्तमान में उसी संस्थान में शिक्षारत छात्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाय।
- (10) संस्था में अध्ययनरत वरिष्ठ छात्रों को भी रैगिंग रोकने हेतु सम्मिलित किया जाय तथा उनका दायित्व निर्धारित किया जाये।
- (11) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अध्यापक संरक्षक/अभिभावक की समुचित संख्या पर सहायता समूह (एडवाइजरी ग्रुप) बनाये जाने, जिससे अध्यापक छात्रों के सम्पर्क में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण अविलम्ब कर सकें।
- (12) सभी संस्थानों में शिकायत पेटिकार्यें रखी जायं, जिससे छात्र बिना किसी पहचान के अपनी शिकायत पेटिका में डाल सके। संस्था के प्राचार्य/निदेशक स्वयं इन पेटिकाओं में प्राप्त शिकायतों आदि की जांच/निराकरण करायें।
- (13) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के माता-पिता, एवं स्थानीय अभिभावक के बारे में विस्तृत विवरण सभी की फोटो सहित तीन प्रतियों में अवश्य प्राप्त किया जाय। कार्यालय की प्रति के अतिरिक्त एक प्रति आगन्तुक कक्ष में तथा एक प्रति कुलानुशासक (प्राक्टर) के पास सदैव उपलब्ध होनी चाहिये।
- (14) छात्रावासों में समस्त छात्रों विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए छात्रावासों में आने वाले आगन्तुकों के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाय तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भी उक्त निर्धारित रात्रिकालीन समय के उपरान्त प्रातःकाल तक बिना किसी अनुमति के बाहर न जाने दिया जाय।
- (15) विगत कुछ समय से रात्रि के समय रैगिंग की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सत्र के प्रारम्भ में कम से कम दो-तीन माह तक 09.00 बजे के बाद किसी प्रथम वर्ष के छात्र के साथ किसी भी वरिष्ठ छात्र का सम्पर्क प्रतिबन्धित कर दिया जाय। रैगिंग निरोधक दस्तों द्वारा विशेष रूप से ऐसे छात्रावासों में, जहाँ प्रथम वर्ष के साथ अन्य वर्षों के छात्र भी रहते हैं, आकस्मिक एवं रात्रिकालीन पुर्नरीक्षण द्वारा उक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (16) सभी छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षिका/अधीक्षक छात्रों की उपस्थित पंजिका बनायें तथा रात्रि में अनिवार्य रूप से विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों की उपस्थिति/गणना की जाय। उसमें सुनिश्चित करें कि जो छात्र/छात्रा अनुपस्थित हैं, उन छात्रों द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी है या नहीं। छात्रों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के बारे में अभिभावकों को उनके दूरभाष/मोबाइल पर तत्काल सूचित किया जाय कि आपका पाल्य छात्रावास में बिना अनुमति के इतने घण्टे अनुपस्थित रहा और यह भी सूचित कर दिया जाय कि इस प्रकार की अवहेलना न करे तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- (17) सभी संस्थानों में धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ (मद्यपान) सेवन पर रोक लगायी जाय। यह दायित्व संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा। यदि कोई छात्र धूम्रपान या मद्यपान करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे दण्डित किया जायेगा।
- (18) समस्त शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा परिसर के भीतर लाइसेन्सयुक्त अग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार रखा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।
- (19) यदि किसी छात्रावास में रैगिंग होना पाया जाता है तो उस छात्रावास के संरक्षक (वार्डेन) की गुण-दोष के आधार पर जवाबदेही निर्धारित की जाय। वार्डेन शिकायत पेटियों में तथा अन्यथा प्राप्त समस्त शिकायतों के सामयिक निस्तारण के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
- (20) प्रत्येक अभियंत्रण संस्थान के प्राचार्य/निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि उक्त संस्थान में सत्र के प्रारम्भ से पूर्व ही अनिवार्य रूप से प्राक्टोरेल बोर्ड का गठन किया जाय तथा इसकी औपचारिक जानकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त स्थानीय थाने में भी दे दी जाय।
- (21) सत्र के प्रारम्भ में न्यूनतम दो माह तक विशेष रूप से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ परिसर में संस्था के प्रशासन की रैगिंग विरोधी कार्यवाही में सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
- (22) प्राक्टर द्वारा प्रशासन/जिला प्रशासन के सहयोग से पुरुष/महिला पुलिस को वर्दी अथवा आवश्यकतानुसार सादे वेश में भी संस्थान एवं छात्रावास परिसर के मुख्यद्वार आदि में भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे।
- (23) सभी इंजीनियरिंग कालेजों के प्रशासन द्वारा सत्र प्रारम्भ के दो माह में प्रत्येक पक्ष अपने विभागों के सचिवों का परिसर में रैगिंग की स्थिति एवं कृतकार्यवाही की रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। यदि इस बीच कोई अप्रिय घटना हुई हो तो उसे भी अवश्य सूचित करेंगे।
- (24) सभी संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाय, जिसमें छात्र, अध्यापक एवं अभिभावक भागीदारी करें तथा नियमों की जानकारी दी जाय।

- (25) संस्थानों में इस प्रकार की घटनाओं में दोषी पाये जाने वाले छात्रों पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही उनके दोष के आधार पर छात्रावास के निष्कासन, संस्थान से निलम्बन, जी0डी0 मार्क में कटौती, मेस से निलम्बन एवं स्कालरशिप बन्द किये जाने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। ऐसी कार्यवाही की सूचना तत्काल शासन को प्रेषित कर दी जाय।
- (26) इन सभी सहयोगात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण अन्य छात्रों के संज्ञानार्थ संस्थान में जगह-जगह जहां से छात्र गुजरते हों, वहां पर चस्पा कर दिया जाय।
- 3- उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि रैगिंग की कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा। अतएव उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप संस्था में रैगिंग पर रोक लगाने हेतु तत्परता एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव।

ac

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि कुलसचिव, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं कुलसचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से अविलम्ब सभी अभियंत्रण एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों वाली संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम गणेश)

विशेष सचिव

oe

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- (1) कुलपति, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- (2) कुलपति, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
- (4) निदेशक/प्राचार्य, राज्य के समस्त इंजीनियरिंग/प्रबन्ध कालेज/संस्थान ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2011

विषय:-प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक
उपाय सुनिश्चित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन पत्र संख्या:3454/2001-सोलह-1-2001, दि० 22-9-2001, प०सं०-1563/सोलह-1-2002, दि० 13-9-2002, प०सं०-2871/2002-सोलह-1-250/96, दि० 16-9-2002, प०सं०-2407/2003-सोलह-1-250/96 दि० 11-7-2003, प०सं०-2463/2004-सोलह-1-250/96 दि० 20-7-2004 प०सं०-2963/2004-सोलह-1-250/96 दि० 31-8-2004, प०सं०-2634/2005-सोलह-1-250/96 दि० 25-8-2005, प०सं०-1563/2006-सोलह-1-250/96 दि० 13-7-2006, प०सं०-1602/सोलह-1-2007-250/96, दि० 29-6-2007, प०सं०-2297/सोलह-1-2008-250/96, दि० 25-6-2008, प०सं०-2615/सोलह-1-2008-250/96, दि० 10-7-2008, प०सं०-3146/सोलह-1-2008-250/96, दि० 11-8-2008, प०सं०-821/सोलह-1-2009-250/96, दि० 26-03-2009, प०सं०-1835/सोलह-1-2009-250/96, दि० 03-09-2009, प०सं०-3346/सोलह-1-2009-250/96 दि० 14-10-2009, प०सं०-3347/सोलह-1-2009-250/96, दि० 14-10-2009, प०सं०-3852/सोलह-1-2009-250/96 टीसी, दि० 04-12-09 प०सं०-4170/सोलह-1-2009-250/96 टीसी, दि० 02-03-2010, प०सं०-3605/सोलह-1-2009-250/96 दि० 02-03-2010 एवं प०सं०-2336/सोलह-1-2009-250/96 दि० 27-07-2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों एवं शासन स्तर से प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदेश व शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 प्रख्यापित किया गया है,

जिसके प्राविधानों के अनुसार रैगिंग की रोकथाम हेतु विभिन्न प्राविधान निर्गत किए गए हैं। उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में संस्थान स्तर पर रैगिंग की रोकथाम हेतु पूर्ण रूप से प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाना है, जिससे छात्र/छात्राओं में व्याप्त भय समाप्त हो सके तथा उनके मध्य पठन-पाठन का बेहतर माहौल तैयार हो सके।

3- इस संबंध में अपेक्षा है कि UOPRO की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही कराते हुए निम्नलिखित प्रकार से एक विशेष अभियान चला कर छात्रों को इस विषय में जागरूक भी किया जाय कि रैगिंग एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त होना चाहिए:-

- (1) सत्र के प्रारम्भ से ही रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे होने की सूचना संस्थान में जगह-जगह पर प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय तथा रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था को बैनर/होर्डिंग्स के माध्यम से संस्थान में प्रदर्शित किया जाए।
- (2) प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावक से प्रवेश के समय शपथ-पत्र लिया जाय कि यदि वे संस्थान में रैगिंग में पकड़े गये तो संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा एवं इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रों की होगी।
- (3) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सत्र के प्रारम्भिक कम से कम दो माह रैगिंग विरोधी दस्ते अनिवार्य रूप से बनाये जाय। इन दस्तों द्वारा प्रतिदिन दिन/रात्रि में छात्रावासों तथा परिसर में एकान्त स्थलों पर एवं ऐसे स्थानों पर जहाँ रैगिंग की सम्भावना हो, जैसे पुस्तकालय, कैन्टीन आदि का निरीक्षण किया जाय। हास्टल परिसरों में विशेष रूप से रात्रि एवं अवकाश के समय तथा शिक्षण कक्षाओं के समीप दस्तों/सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आकस्मिक एवं पुनर्निरीक्षण किया जाय।
- (4) संस्था द्वारा निर्धारित कोड से भिन्न यदि छात्र समूह द्वारा कोई अनौपचारिक कोड विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु बनाए जाने की बात प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- (5) एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय प्रथम वर्ष के छात्रों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जाय।
- (6) सभी संस्थानों में जहां पर प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं, वहां पर यह सुनिश्चित करें कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किये गये हैं वे रात्रि में छात्रावासों के चारों ओर गश्त लगायें। उनको पूरी तरह से हिदायत दे दी जाय।
- (7) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में नये छात्रों को संस्थान के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदान कर दी जाय, जिससे कि सीनियर छात्रों द्वारा नये छात्रों की कम जानकारी का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

- (8) नवीन छात्रों के लिए छात्रावास परिसर, वरिष्ठ छात्रों के छात्रावास परिसर से दूर ही रखा जाय एवं दोनों छात्रावासों के बीच पर्याप्त ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सुनिश्चित किया जाय। यदि छात्रावास समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो नये छात्रों को ही परिसर छात्रावास में रखने की व्यवस्था की जाय। वरिष्ठ छात्र बाहर रह सकते हैं।
- (9) कई बार देखा गया है कि वरिष्ठ छात्र बाहरी तत्वों अथवा कालेज के छात्रावास में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे पूर्व छात्रों अथवा अन्य संस्थानों के छात्रों के संरक्षण में रैगिंग जैसी गम्भीर गतिविधियों में लिप्त होते हैं। अतः संस्था के प्राचार्य/वार्डन का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी दशा में शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में वर्तमान में उसी संस्थान में शिक्षारत छात्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाय।
- (10) संस्था में अध्ययनरत वरिष्ठ छात्रों को भी रैगिंग रोकने हेतु सम्मिलित किया जाय तथा उनका दायित्व निर्धारित किया जाये।
- (11) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अध्यापक संरक्षक/अभिभावक की समुचित संख्या पर सहायता समूह (एडवाइजरी ग्रुप) बनाये जाने, जिससे अध्यापक छात्रों के सम्पर्क में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण अविलम्ब कर सकें।
- (12) सभी संस्थानों में शिकायत पेटिकाएँ रखी जायं, जिससे छात्र बिना किसी पहचान के अपनी शिकायत पेटिका में डाल सके। संस्था के प्राचार्य/निदेशक स्वयं इन पेटिकाओं में प्राप्त शिकायतों आदि की जांच/निराकरण करावें।
- (13) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के माता-पिता, एवं स्थानीय अभिभावक के बारे में विस्तृत विवरण सभी की फोटो सहित तीन प्रतियों में अवश्य प्राप्त किया जाय। कार्यालय की प्रति के अतिरिक्त एक प्रति आगन्तुक कक्ष में तथा एक प्रति कुलानुशासक (प्राक्टर) के पास सदैव उपलब्ध होनी चाहिये।
- (14) छात्रावासों में समस्त छात्रों विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए छात्रावासों में आने वाले आगन्तुकों के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाय तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भी उक्त निर्धारित रात्रिकालीन समय के उपरान्त प्रातःकाल तक बिना किसी अनुमति के बाहर न जाने दिया जाय।
- (15) विगत कुछ समय से रात्रि के समय रैगिंग की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सत्र के प्रारम्भ में कम से कम दो-तीन माह तक 09.00 बजे के बाद किसी प्रथम वर्ष के छात्र के साथ किसी भी वरिष्ठ छात्र का सम्पर्क प्रतिबन्धित कर दिया जाय। रैगिंग निरोधक दस्तों द्वारा विशेष रूप से ऐसे छात्रावासों में, जहाँ प्रथम वर्ष के साथ अन्य वर्षों के छात्र भी रहते हैं, आकस्मिक एवं रात्रिकालीन पुर्नरीक्षण द्वारा उक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।